न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः—92/16 ((RCMS No.2016/00097) 18 आयुध अधिनियम 1959)

रामनाथ पुत्र बालमुकुन्द जाति गुर्जर निवासी सहानपुर थाना सदर जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 05.07.2016

उपस्थितिः—

1. श्री भगवत सिंह वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण यदिनांकः 08.11.2017

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 05.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र संख्या 20/2000 दिनांक 31.12.2007 तक नवीनीकृत था। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.15 को पेश किया। जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में अवगत कराया कि आवेदन के विरूद्ध थाना हाजा पर मु0 नं0 41/04 धारा 216ए ता0हि0 थाना सदर में दर्ज हुआ था जिसमें माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर के द्वारा संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गयाहै। इसलिये अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की गई। अपीलान्ट को धारा 17(3) का नोटिस जारी कियाजिसका अपीलान्ट ने जबाबपेशकिया कि प्रार्थी को दोष मुक्त किया जा चुका है। उक्त प्रकरण आपसी रंजिश में दर्ज कराया था। प्रार्थी एक सीधा साधा कृषक व्यक्ति है उक्त आर्म्स अपनी व अपने परिवार की निजी सुरक्षा हेतु ले रखा है। इसका उसने कभी कोई दुरूपयोग नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि अपीलान्ट ने थाने में दर्ज अभियोग में तथ्यों को छिपाया गया है। अपीलान्ट के आपराधिक चरित्र एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को देखते हुऐ तथा कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाये रखने के अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त करने तथा शस्त्र को संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश दिनांक 05.07.16 को पारित किये। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट के विरूद्ध मु0 नं0 294/05 एफआईआर सं0 41/04 पुलिस थाना सदर धौलपुर में हुऐ आदेश के आधार पर अपीलान्ट का आर्म्स लाइसेंस निरस्त किया है। उसमें अपीलान्ट को दिनांक 01.07.2015 को बरी किया गया है, उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपीलनही हुई है। उक्त निर्णय अन्तिम हो चुका है। इसलिये उक्त निर्णय की आड़ में अनुज्ञापत्र निरस्त नही किया जा सकता है। अपीलान्ट के लाईसेंस को निरस्त करने का आदेश विधि सम्मत् नही है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। उनका तर्क है कि अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई मुकदमा किसी थाने में विचाराधीन नही है और न ही कोई आरोप लाईसेंस का दुरूपयोग करने के संबंध में है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है,जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि अपीलान्ट के विरूद्ध मु0 नं0 41/04 धारा 216 ता0 हि0 थाना सदर धौलपुर में दर्ज हुआ था जिसमें अपीलान्ट द्वारा भगौडों (फरार व्यक्तियों) को शरण देना अंकित किया है। अपीलान्ट आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है तथा अपीलान्ट के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुआ है। इसलिये जिला पुलिस अधीक्षक ने अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही करने की सिफारिश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सिफारिश के आधार पर लोक सुरक्षा एवं लोक शान्ती को दृष्टिगत रखते हुऐ अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र संख्या 20/2000 दिनांक 31.12.2007 तक नवीनीकृत था। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.15 को पेश किया। जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध थाना हाजा पर मु0 नं0 41/04 धारा 216ए ता0हि0 थाना सदर में प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर के द्वारा संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट केअनुसार अपीलान्ट द्वारा भगोडों को शरण देनाअंकित किया है तथा अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की गई।अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण धारा 216ए भा0द0सं0 में संदेह का लाभ देकरअपीलान्ट को दोष मुक्त किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व में आपराधिक मुकदमा दर्ज होने से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण के लिये अनुशंषा नही की है। लोकशान्ति व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोकसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.07.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.11.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official